

प्रेषक,

आयुक्त,
मुसादाबाद मण्डल,
मुसादाबाद।

संज्ञा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा जेन्ट-2, समुदाय जेन्ट, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

संख्या 1671 / 27-08-00 जे0ए0

दिनांक : जुलाई 27, 2012

विषय :-

हीरा इंटरनेशनल स्कूल, मण्डी धनौरा, जे0पी0 नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 00/06/2023

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि हीरा इंटरनेशनल स्कूल, मण्डी धनौरा, जे0पी0 नगर विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र प्रजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम रामपुर तगा, परगना व तहसील धनौरा, जिला जे0पी0 नगर में स्थित खाता संख्या 00041 गाटा सं0 352मि0 क्षेत्रफल 0.3230है0 एवं खाता संख्या 00184 गाटा सं0 352मि0 क्षेत्रफल 1.9310है0 में से 0.6710है0 इस प्रकार कुल 02 किते क्षेत्रफल 0.9940है0 में से 0.8550 है0 (लीजडीड के आधार पर) भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

An. Singh
08/06/2023
Principal

Hira International School

(Affiliation No. 2131707)

Mandi Dhanaura (Amroha)

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, आरंभ मासिक विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी जे0पी0 नगर।

(ओ0पी0एन0 सिंह)

आयुक्त।

Hira Singh
Manager

Hira International School

(Affiliation No. 2131707)

Mandi Dhanaura (Amroha)